ed in the Gazette of India for general information.

Sd/- S. Gopalan,
Secretary to Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
New Delhi.

संगठित और असंगठित श्रमिकों के लिए मजदूरी

1851. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे विभिन्न श्रेणियों के संगठित और असंगठित श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मजदूरी की दर में पिछली बार किस तिथि को संशोधन किया गया था;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने हेतु राज्यों को निर्धारित मानदण्ड सुझाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) और (ख) संगठित क्षेत्र में कर्मकारों की मजदूरी द्विपक्षीय मजदूरी वार्ताओं तथा समझौतों के माध्यम से निर्धारित की जाती है । गैर-संगठित क्षेत्रों में, कर्मकारों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निर्धारित/संशोधित की जाती है । अधिनियम के अनुसार केन्द्र सरकार तथा साथ ही साथ राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/संशोधन करने हेतु समुचित सरकार हैं । विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अकुशल श्रेणी के कर्मकारों से संबंधित न्यूनतम मजदुरी दरें दर्शाने वाला विवरण **(नीचे देखिए)** संलग्न है ।

(ग) से (ङ) न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण/संशोधन हेतु भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा 1957 में आयोजित सत्र में अनुशंसित पांच मानदंडों को अपनाया जाता है । ये मानदण्ड इस प्रकार है : किसी एक मजदूरी उपार्जक के लिए तीन उपभोग-इकाईयां, किसी एक औसत भारतीय वयस्क के लिए 2700 कैलोरी की न्यूनतम खाद्य आवश्यकताएं, प्रति परिवार प्रतिवर्ष 72 गज कपड़े की आवश्यकता, आर्थिक सहायता प्राप्त सरकारी औद्योगिक आवासीय योजना के सदृश किराया तथा ईंधन पर व्यय, बिजली एवं अन्य विविध मदों पर व्यय । न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करते समय समुचित सरकारे स्थानीय परिस्थितियों और अन्य कारकों को भी ध्यान में रखती हैं ।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों में संगठित और असंगठित श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरें

क्र० सं०	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नाम	न्यूनतम मजदूरी दरें तथा संशोधन की तारीख	अभ्युक्ति
1		2	3
I	**राज्य**		
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.00 रु० से 40.00 रु० प्र० दि०* (11-10-94)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न है ।
2.	अरूणाचल प्रदेश	18.00 रु० से 21.00 रु० प्र० दि० (1-11-90)	रोजगार दर रोजगार तथा क्षेत्र दर क्षेत्र मजदूरी भिन्न है ।
3.	असम	25.30 रु० से 32.00 रु० प्र० दि०* (10-2-92)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न है ।
4.	बिहार	21.00 रु० से 34.00 रु० प्र० दि० (19-7-93)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं ।
5.	गोवा	14.00 रु० से 27.00 रु० प्र० दि० (7-2-92)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं ।
6.	गुजरात	15.00 रु० से 37.50 रु० प्र० दि०* (1-4-94)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं । (क्षेत्रानुसार)

विवरण—जारी

1	2	3
7. हरियाणा	1123.00 रु० प्र० मा०* (1-7-94)	सभी रोजगारों के लिए एकल दरें ।
8. हिमाचल प्रदेश	24.00 रु० प्र० दि० (14-11-93)	सभी रोजगारों के लिए एकल दरें ।
9. जम्मू और कश्मीर	15.00 रु० प्र० दि० (24-3-89)	सभी रोजगारों के लिए एकल दरें ।
10. कर्नाटक	23.44 रु० से 32.53 रु० प्र० दि०* (22-7-92)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं। (क्षेत्रानुसार)
11. केरल	19.50 रु० से 76.40 रु० प्र० दि०* (31-3-92)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं। (क्षेत्रानुसार)
12. मध्य प्रदेश	27.17 रु० से 33.92 रु० प्र० दि०* (29-1-94)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न है ।
13. महाराष्ट्र	8.00 रु० से 64.50 रु० प्र० दि०* (29-6-94)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं। (क्षेत्रानुसार)
14. मणिपुर	23.70 रु० प्र० दि० (मैदानों के लिए)* 26.70 रु० प्र० दि० (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए) (1-6-90)	सभी रोजगारों के लिए दुगनी दरें।
15. मेघालय	35.00 रु० प्र० दि० (16-3-94)	सभी रोजगारों के लिए एकल दर ।
16. मिजोरम	28.00 रु० प्र० दि० (6-7-92)	सभी रोजगारों के लिए एकल दर ।
17. नागालैंड	25.00 रु० प्र० दि० (6-7-92)	सभी रोजगारों के लिए एकल दर ।
18. उड़ीसा	25.00 रु० प्र० दि० (1-7-92)	सभी रोजगारों के लिए एकल दर
19. पंजाब	40.52 रु० प्र० दि० (1-3-93)*	सभी रोजगारों के लिए एकल दर ।
20. राजस्थान	22.00 रु० प्र० दि० (2-7-90)	सभी रोजगारों के लिए एकल दर ।
21. सिक्किम	शून्य	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी यहां प्रचलित किया जाना है ।
22 तमिलनाडु	10.00 रु० से 56.25 रु० प्र० दि०* (27-1-93)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं। (क्षेत्रानुसार)
23 त्रिपुरा	11.80 रु० से 23.65 रु० प्र० दि० (1-1-90)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरे भिन्न-भिन्न हैं। (क्षेत्रानुसार)
24. उत्तर प्रदेश	468.00 रु० से 1038.00 रु० प्र० मा०* (3-1-94)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं। (क्षेत्रानुसार)

*टिप्पणी—न्यूनतम मजदूरी दरों सहित परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का प्रावधान इंगित करता है।

1	2	3	4
25.	प० बंगाल . . .	17.40 रु० से 45.16 रु० प्र० दि०* (1-12-93)	रोजगार दर रोजगार में मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रानुसार) ।
26.	अण्डमान और निकोबार . .	27.00 रु० से 28.00 रु० प्र० दि० (13-8-92)	रोजगार दर रोजगार में मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रानुसार) ।
27.	चण्डीगढ़ . . .	1043.50 रु० प्र० मा० (22-2-90)*	सभी रोजगारों के लिए एकल दरें ।
28.	दादरा और नागर हवेली . .	19.50 रु० से 29.65 रु० प्र० दि० (15-12-92)	रोजगार दर रोजगार में मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रानुसार)
29.	दमण और दीव . .	22.00 रु० से 27.00 रु० प्र० दि० (19-3-93)	सभी रोजगार के लिए एकल दरें ।
30.	दिल्ली . . .	54.60 रु० प्र० दि (1-8-94)*	सभी रोजगार के लिए एकल दरें ।
31.	लक्षद्वीप . . .	30.00 रु० प्र० दि० (1-1-93)	सभी रोजगार के लिए एकल दरें ।
32.	पांडिचेरी . . .	8.00 रु० से 14.00 रु० प्र० दि० (15-12-89)	खेतिहर श्रमिकों सम्बन्धी दरें ।
II.	केन्द्रीय सरकार . . .	29.00 रु० से 48.50 रु० प्र० दि०* (16-9-94)	रोजगार दर रोजगार में मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न है (क्षेत्रानुसार) ।

*टिप्पणी :—न्यूनतम मजदूरी दरों सहित परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का प्रावधान इंगित करती है ।

Social Network Scheme for Unorganised Labour

1852. SHRI RAHASBIHARI BARIK : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have a proposal to implement social network schemes for the unorganised labour ;

(b) whether the modalities of social network have been worked out;

(c) if so, the details therof; and

(d) the steps taken to implement these social network?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (d) For the purpose of providing some social security to identified workers in specific unorganised sectors several personal accident and group insurance schemes have been taken up by the LIC and GIC from the Social Security Fund set up by the Ministry of Finance. These include the agricultural landless workers, the beedi workers, handloom weavers, rickshaw pullers, etc. The unorganised labour employed in construction farming by tractors etc. are already covered for compensation benefit as provided under the Workmen's Compensation Act. 1923. It has also been decided to bring the persons employed in cleaning of septic tanks and jungles, cultivation, spraying/dusting of insecticides/pesticides, mechanised harvesting/threshing etc. within the purview of the W.C. Act, 1923. For this purpose the Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 1994 has already been introduced in the Rajya Sabha.

Workers of Bauxite Mines

1853. SHRI BHAGABAN MAJHI : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) the approximate number of workers engaged in the bauxite mines and bauxite-based industries in Orissa;

(b) whether Government are aware of the problem of those bauxite workers; and

(c) if so, the steps taken for the welfare of those bauxite workers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.